कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0ब0–61/2017– 908 दिनांक : 16.07.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल/ बोकारो वन प्रमंडल/धनबाद वन प्रमंडल/रामगढ़ वन प्रमंडल/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2018–19 तक अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन–वर्द्धन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु **रू0 41.304 (एकतालीस लाख तीस हजार चार सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–08/2018–43/स्वी0 व0प0 दिनांक 20.02.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–08/2018–47/आ0 व0प0 दिनांक 22.06.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष– 40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 41.304 (एकतालीस लाख तीस हजार चार सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789400103	41.304
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789400323	0.000
कुल :–		**41.304**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2** पर एवं ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601789400103 एवं 19S240601789400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध परिशिष्ट–1 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। व्याघ्र परियोजना/ वन्यप्राणी आश्रयणियों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक से अगर कोई अनुमति अनिवार्य है, तो कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी उसे प्राप्त कर लेंगे।

6. Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बाँस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हे0 में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

10. योजना का कार्यान्वयन स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–61 / 2017– 908** दिनांक– **16.07.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / दुमका / हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल बोकारो / गिरिडीह / देवघर / चतरा / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–61 / 2017– 908** दिनांक– **16.07.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर / देवघर / गिरिडीह / बोकारो / धनबाद / रामगढ / चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जानेवाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन–वर्द्धन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्रम सं0	प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2018–19		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	190	5.412	0.000	5.412
2	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	195	5.554	0.000	5.554
3	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	190	5.412	0.000	5.412
4	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	45	1.282	0.000	1.282
5	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	70	1.994	0.000	1.994
6	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	170	4.843	0.000	4.843
7	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	170	4.843	0.000	4.843
8	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	150	4.273	0.000	4.273
9	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	170	4.843	0.000	4.843
10	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	100	2.848	0.000	2.848
सकल योग		**1450**	**41.304**	**0.000**	**41.304**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-61/2017P/908 दिनांक - 16-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41178	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.NORTH.DIV.MED	541,200.00 रुपये पाँच लाख इकतालीस हजार दो सौ
2	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41179	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.SOUTH.DIV.MED	555,400.00 रुपये पाँच लाख पचपन हजार चार सौ
3	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41180	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	541,200.00 रुपये पाँच लाख इकतालीस हजार दो सौ

योग: 1,637,800.00

क्रमिक योग: रुपये सोलह लाख सैंतीस हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)

PCCF.DEV.(JHARKHAND) RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 16/7/2018

पत्र संख्या - 01/YB-61/2017P/908

दिनांक - 16-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41181	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	128,200.00 रुपये एक लाख अठाइस हजार दो सौ
5	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41182	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	199,400.00 रुपये एक लाख निन्नानवे हजार चार सौ
6	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41183	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	484,300.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार तीन सौ

योग: 811,900.00

क्रमिक योग: रुपये चौइस लाख उनचास हजार सात सौ 2,449,700.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND)RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-61/2017P/908 दिनांक - 16-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41184	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	484,300.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार तीन सौ
8	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41185	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICEI	427,300.00 रुपये चार लाख सत्ताइस हजार तीन सौ
9	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	41186	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	484,300.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार तीन सौ

योग: 1,395,900.00

क्रमिक योग: रुपये अडतीस लाख पैंतालीस हजार छः सौ 3,845,600.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DEVELOPMENT(HOFF)RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 16/7/2018

पत्र संख्या - 01/YB-61/2017P/908 दिनांक - 16-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	41187	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	284,800.00 रुपये दो लाख चौरासी हजार आठ सौ

State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)
Centeral Scheme : NA

योग: 284,800.00

क्रमिक योग: रुपये इकतालीस लाख तीस हजार चार सौ 4,130,400.00

(SHRI SATNAM SINGH
PCCF.DEVELOPMENT) RANCHI

164.100.150.21
Run Date: 16/7/2018

अनुलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए "सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना" के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन–वर्द्धन के कार्यो की दर तालिका

मजदूरी दर – 137.38 रु0 प्रति मानव दिवस

प्रति 200 बांस बखार (मानक संख्या प्रति हे0)

(राशि रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2018–19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	12	2848.56	0.00	2848.56	
	कुल	**12**	**2848.56**	**0.00**	**2848.56**	

नोट :– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–08/2018–43 दिनांक 20.02.2018

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची